


23/03/2024

पत्रावली पेश। वकील मय वादी उपस्थित।  
वादी द्वारा दि० 22/3/21 को जज्ज अन्वयि धरारा 151

सर्व आदेश 23 रूल। मे वाद का प्रत्याहरण (विड्योल)  
बाबत पेश किया था तथा इस प्रकार मे कोई कार्यवाही  
नही चाही है।

अतः वकील वादी द्वारा वाद मे कोई  
कार्यवाही नही चाहते एवं वाद वापस लेने (विड्योल)  
कराये जाने के फलस्वरूप वाद वादी द्वारा  
किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार की जावे व  
नम्बर से काम की जावे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
धनोहरबाना, जिला झालावाड

दीपक कुमार  
28  
21/3/2024